

संख्या- 284 / नौ-9-11-238ज / 10

प्रेषक,

आत्मा राम वर्मा,  
 अनु सचिव,  
 उत्तर प्रदेश शासन।  
 सेवा में,  
 निदेशक,  
 स्थानीय निकाय,  
 उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग—१

विषय—श्री छोटने बेग व अन्य जिला सीतापुर द्वारा माठलोकायुक्त प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत परिवाद पर माठलोकायुक्त उ0प्र0 द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन  
 संख्या—३—२०१० दिनांक 4.3.2010

243

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर माठलोकायुक्त उ0प्र0 द्वारा तैयार कराये गये प्रतिवेदन संख्या—३—२०१० दिनांक 4.3.2010 में माठलोकायुक्त द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गई है:-

(1) <sup>1. कुल संख्या गुणता)</sup> नगर पालिकाओं को रिवालिंग फण्ड से धनराशि स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूर्व में स्वीकृत की गई धनराशि की वसूली हो गई है।

<sup>निदेशक स्थानीय निकाय</sup> (2) उन क्षेत्र में हाई मास्ट लाइट और विद्युत चालित फब्बारों के निर्माण के लिए ऋण अथवा कोई बजट स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि जारी की जाने वाली धनराशि का पूरा सदुपयोग हो जाएगा क्योंकि न तो बिना विद्युत आपूर्ति के हाई मास्ट लाइट का उपयोग हो सकता है न ही विद्युत चालित फब्बारे चलाकर कोई सौन्दर्यीकरण की योजना कियान्वित हो सकती है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत आदि को अपने स्तर से यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि माठकांशीराम नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव/आगणन में उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया जाय।

जवाबीय,

(आत्मा राम वर्मा)

अनु सचिव

७c